

आदेश

आम-नागरिकों तथा समाचार पत्रों के माध्यम से प्रायः ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि मेनहॉल खुले अवस्था में है, जिसके कारण अप्रिय घटना घटित होने की संभावना बनी रहती है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व में भी तथा दिनांक 23.02.2026 को बैठक के दौरान भी स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि सभी कार्यपालक पदाधिकारी तथा सभी कार्यपालक अभियंता, पटना नगर निगम यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी खुले मेनहॉल/कैचपिट/स्लैब को पूर्णरूपेण ढकेंगे। साथ ही यदि सड़क अन्य विभाग से संबंधित है तो समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करवायेंगे।

उल्लेखनीय है कि सभी खुले मेनहॉल/कैचपिट/स्लैब के मरम्मत/निर्माण हेतु आवंटन उपलब्ध करायी जा चुकी है।

अतः सभी कार्यपालक पदाधिकारी तथा सभी कार्यपालक अभियंता, पटना नगर निगम निदेशित है कि माननीय पार्षद से समन्वय स्थापित करते हुए सभी खुले मेनहॉल/कैचपिट/स्लैब को यथाशीघ्र ढकते हुए संयुक्त हस्ताक्षरित प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे कि अंचल/प्रमंडल अन्तर्गत मेनहॉल/कैचपिट/स्लैब खुला नहीं है। साथ ही कार्य प्रगति से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे। खुले मेनहॉल/कैचपिट/स्लैब पाये जाने पर संबंधित अभियंता/संवेदक के विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

24/02/26

नगर आयुक्त

पटना नगर निगम

ज्ञापक :- Sawi/प्र.स/12/2019-38.14....., पटना, दिनांक-24.02.2026

प्रतिलिपि :- सभी अपर नगर आयुक्त/सभी उप नगर आयुक्त/मुख्य नगर अभियंता/सभी कार्यपालक पदाधिकारी तथा सभी कार्यपालक अभियंता, पटना नगर निगम को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

24/02/26

नगर आयुक्त

पटना नगर निगम